न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :— 06 / 2013

शोकत अली पुत्र नजीर जाति धोबी, आयु 35 वर्ष, निवासी बड़वासी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू
— **निगरानीकार**

— बनाम—

1. ग्राम पंचायत बड़वासी जरिये ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बडवासी पं0सं0 नवलगढ, जिला झुंझुनू।
2. इकबाल पुत्र अकबर खां, उम्र 45 वर्ष, जाति धोबी, निवासी बड़वासी,तहसील नवलगढ,जिला झुंझुनू।
3. इलियास अली पुत्र कादर उम्र 52 वर्ष जाति धोबी, निवासी बड़वासी,तहसील नवलगढ,जिला झुंझुनू।
4. असलम अली पुत्र इलियास अली उम्र 25 वर्ष, जाति धोबी, निवासी बड़वासी,तहसील नवलगढ,जिला झुंझुनू।
5. जीवण अली पुत्र उजीर अली, उम्र 40 वर्ष, जाति धोबी, निवासी बड़वासी,तहसील नवलगढ,जिला झुंझुनू।

—गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी खिलाफ प्रस्ताव संख्या 8 दिनांकित 07.03.99
अदालत ग्राम पंचायत बड़वासी पंचायत समिति नवलगढ।

उपस्थिति :—
1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट — निगरानीकार की ओर से।
2. श्री किशोर कुमार जांगीड़, एडवोकेट — गैर निगरानीकार सं04 की ओर से

—निर्णय—

दिनांक :— 29.06.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बड़वासी के खिलाफ प्रस्ताव संख्या —8 दिनांकित 07.03.99 के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि— ग्राम बडवासी में एक मस्जिद है जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। इस मस्जिद के सामने सार्वजनिक चौक है व इस सार्वजनिक चौक में से आम रास्ते निकलते हैं व इसी चौक में प्रार्थी व अन्य मोहल्ले वासियों के मकानों के मुख्य दरवाजे खुलते है व इस सार्वजनिक चौक को ग्रामवासियान व मोहल्ले वाले सार्वजनिक काम में काफी अर्सा पूर्व से लेते आ रहे हैं। इस सार्वजनिक चौक में मस्जिद के दो दरवाजे जो कि पूर्व की दिशा में खुलते हैं। मस्जिद के पास ही कोने से सटकरके प्रार्थी की गुवाडी है। प्रार्थीगण तीन भाई हैं व तीनों भाईयों की गुवाड़ियों

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

के तीनों रास्ते इसी चौकमें उत्तर की तरफ खुलते हैं। उक्त दरवाजों में पश्चिमी तरफ के दो दरवाजों पर गेट भी बना रखे हैं। परन्तु अप्रार्थीगण ने इन चुनावों की रंजिश के पेटे प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता बन्द करना चाहते हैं। प्रार्थी की गुवाड़ी के पश्चमी तरफके उत्तर झांकते दोनों गेटोंके सामने विपक्षी संख्या 2 व 3 ने निर्माण सामग्री डालकर रास्ताबन्द करना चाहा तो प्रार्थी के भाई के लड़के नदीम ने दरख्वास्तकोएसडीएम साहब नवलगढ ने एस.एच.ओ. नवलगढ को भेज दी व पुलिस थाना नवलगढ मौके पर गया व विपक्षीगण 2 लगायत 5 को पाबन्द कियाकि रास्ता बन्द नहीं करोंगे तो विपक्षीगण ने ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बाबत बतलाया तो प्रार्थी के भाई के लड़के ने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव की नकल प्राप्तकीतो पता चला कि ग्राम पंचायत बड़वासी ने अपने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 7.3.99 के द्वारा उक्त सार्वजनिक चौक में 30X30 फुट की जगह मुस्लिम समुदाय को मदरसे के लिये दे दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश कर निवेदन किया कि–ग्राम पंचायत बड़वासी ने प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.99 पारित करने से पहले एतराजबाबत कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं निकाला, जबकि सार्वजनिक चौक है। इस बाबत नोटिस निकालकर सबको सुनकर के ही निर्णय पारित करना चाहिये था। राज0 पंचायती राज0 नियम 1996 के तहत आबादी भूमियों के स्थावर सम्पति के आवंटन बाबत नियम 136 से 165 तक बनाये गये हैं । उक्त नियमों की पालना ना कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित करने में ग्राम पंचायत ने कानूनीगलती की है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999 में साफ दर्जकर रखा है" मस्जिद के सामने पूर्व दिशा में आम चौक पड़ता है जिसके पूर्व में गुट्टूखां पुत्र भागुखां धोबी की गुवाड़ी, पश्चिम दिश्शा में मस्जिद, उत्तर दिशा में 20 फुट चौड़ा आम रास्ता है व दक्षिण दिशा में असगर पुत्र जौमर्दी धोबी व याकूब, अयूब व श्योकत पुत्रान नजीर धोबी की गुवाड़ी है। इन आबादी गुवाड़ियों के रासते इसी आम चौक से लगते हैं। इस प्रकार से ग्राम पंचायत ने इसे आम चौक होना माना है व प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता भी इसी चौक से खुलना माना है। वइसी चौक में से आम रास्ता भी होना माना है। इसके बाद भी प्रार्थी व अन्य लोगों को व सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी नहींकरकेआम चौक कीजमीन देने का प्रस्ताव पारित करने में ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है। ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक चौक की जमीन का आवंटन करने में गलती कानूनी की है। सार्वजनिक चौक की जमीन किसी को आवंटित नहीं की जा सकती। वादग्रस्त जमीन का प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999 का है जिस पर आज तक कोई निर्माण नहीं किया गया है व ना ही निर्माण सामग्री डाली गई थी व चुनावों के बाद में इसे राजनैतिक प्रतिशोध लेने के लिये प्रार्थी की गुवाड़ी का आने जाने का रास्ता बन्द करने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है। मस्जिद में ना तो कोई मदरसा है व ना ही बच्चे पढने आते हैं, सारी

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

कहानी मनगढन्त बनाई है, जो कि प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता बन्द करने की नियत से जमीन अलाट की जाने का प्रस्ताव सं08 दिनांक 07.3.99 निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी, निगरानीकार स्वीकार की जाकर के अदालत मातहत का प्रस्ताव संख्याा–8 दिनांक 07.03.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – ग्राम बडवासी में एक मस्जिद है जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। इस मस्जिद के सामने सार्वजनिक चौक है व इस सार्वजनिक चौक में से आम रास्ते निकलते हैं व इसी चौक में प्रार्थी व अन्य मोहल्ले वासियों के मकानों के मुख्य दरवाजे खुलते है व इस सार्वजनिक चौक को ग्रामवासियान व मोहल्ले वाले सार्वजनिक काम में काफी अर्सा पूर्व से लेते आ रहे हैं। इस सार्वजनिक चौक में मस्जिद के दो दरवाजे जो कि पूर्व की दिशा में खुलते हैं। मस्जिद के पास ही कोने से सटकरके प्रार्थी की गुवाड़ी है। प्रार्थीगण तीन भाई हैं व तीनों भाईयों की गुवाड़ियों के तीनों रास्ते इसी चौकमें उत्तर की तरफ खुलते हैं। उक्त दरवाजों में पश्चिमी तरफ के दो दरवाजों पर गेट भी बना रखे हैं। परन्तु अप्रार्थीगण ने इन चुनावों की रंजिश के पेटे प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता बन्द करना चाहते हैं। प्रार्थी की गुवाड़ी के पश्चमी तरफके उत्तर झांकते दोनों गेटोंके सामने विपक्षी संख्या 2 व 3 ने निर्माण सामग्री डालकर रास्ताबन्द करना चाहा तो प्रार्थी के भाई के लड़के नदीम ने दरख्वास्त को एसडीएम साहब नवलगढ ने एस.एच.ओ. नवलगढ को भेज दी व पुलिस थाना नवलगढ मौके पर गया व विपक्षीगण 2 लगायत 5 को पाबन्द किया कि रास्ता बन्द नहीं करोंगे तो विपक्षीगण ने ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बाबत बतलाया तो प्रार्थी के भाई के लड़के ने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव की नकल प्राप्त की तो पता चला कि ग्राम पंचायत बड़वासी ने अपने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 07.3.99 के द्वारा उक्त सार्वजनिक चौक में 30X30 फुट की जगह मुस्लिम समुदाय को मदरसे के लिये दे दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश कर निवेदन किया कि–ग्राम पंचायत बड़वासी ने प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.99 पारित करने से पहले एतराज बाबत कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं निकाला, जबकि सार्वजनिक चौक है। इस बाबत नोटिस निकालकर सबको सुनकर के ही निर्णय पारित करना चाहिये था। राज0 पंचायती राज0 नियम 1996 के तहत आबादी भूमियों के स्थावर सम्पति के आवंटन बाबत नियम 136 से 165 तक बनाये गये हैं । उक्त नियमों की पालना ना कर

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित करने में ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999 में साफ दर्जकर रखा है" मस्जिद के सामने पूर्व दिशा में आम चौक पड़ता है जिसके पूर्व में गुद्दूखां पुत्र भागुखां धोबी की गुवाड़ी, पश्चिम दिशा में मस्जिद, उत्तर दिशा में 20 फुट चौड़ा आम रास्ता है व दक्षिण दिशा में असगर पुत्र जौमर्दी धोबी व याकूब, अयूब व श्योकत पुत्रान नजीर धोबी की गुवाड़ी है। इन आबादी गुवाड़ियों के रासते इसी आम चौक से लगते हैं। इस प्रकार से ग्राम पंचायत ने इसे आम चौक होना माना है व प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता भी इसी चौक से खुलना माना है। वइसी चौक में से आम रास्ता भी होना माना है। इसके बाद भी प्रार्थी व अन्य लोगों को व सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी नही करके आम चौक की जमीन देने का प्रस्ताव पारित करने में ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है। ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक चौक की जमीन का आवंटन करने में गलती कानूनी की है। सार्वजनिक चौक की जमीन किसी को आवंटित नहीं की जा सकती। वादग्रस्त जमीन का प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999 का है जिस पर आज तक कोई निर्माण नहीं किया गया है व ना ही निर्माण सामग्री डाली गई थी व चुनावों के बाद में इसे राजनैतिक प्रतिशोध लेने के लिये प्रार्थी की गुवाड़ी का आने जाने का रास्ता बन्द करने केलिये यह कार्यवाही की जा रही है। मस्जिद में ना तो कोई मदरसा है व ना ही बच्चे पढने आते हैं, सारी कहानी मनगढन्त बनाई है, जो कि प्रार्थी की गुवाड़ी का रास्ता बन्द करने की नियत से जमीन अलाट की जाने का प्रस्ताव सं08 दिनांक 07.3.99 निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी, निगरानीकार स्वीकार की जाकर के अदालत मातहत का प्रस्ताव संख्याा–8 दिनांक 07.03.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार सं0–2, 4 व 5 ओ रे लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि–ग्राम पंचायत बड़वासी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 07.03.1999 को पारित किया गया था जो खुली पंचायत में पंचायत का कोरम पूरा होने पर विधिनुसार पारित किया गया था, जिस बाबत पूरी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्तियों को जानकारी रही है,यह उपधारणा किया जाना प्राविधित है। उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक उददेश्यों हेतु मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल मस्जिद के लिए पारित किया गया था। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि जहां पर किसी प्रार्थना पत्र के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है, वहां पर अवधि तीन वर्ष होती है। उस प्रकार निगरानी प्रार्थना पत्र तीन वर्ष में ही प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निगरानी का प्रार्थना पत्र अप्रत्याशित देरी के साथ एक दशक से भी अधिक 14 वर्ष का समय बीतने के पश्चात पेश किया गया है जो बहुत अधिक लम्बा समय है, इतने लंबे समय के पश्चात उक्त निगरानी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चिरंजीलाल बनाम अति0

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जिला कलक्टर के केस में दिनांक 15 जनवरी, 2002 को निर्णय पारित कर प्रतिपादित किया गया है कि अप्रत्याशित समय के पश्चात किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पेश किया गया निगरानी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। निगरानीकार ने मात्र इर्ष्यावश सामाजिक कार्य में अडचन पैदा करने व सार्वजनिक ग्राम पंचायत की जगह पर नाजायज अतिक्रमण करने की दुर्मशा के वशीभूत होकर पेश की है। आवेद की मंशा हमेशा जमीन जैर बहस को हड़पने की रही है। आवेदक शोकत अली ने पूर्व में भी प्रस्ताव में वर्णित जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिस पर ग्राम पंचायत बड़वासी ने दिनांक 7.3.1997 को प्रस्ताव संख्या 2 (2) पारित किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मौके की जांच कर आवेदक के अतिक्रमण को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। जिस पर उक्त आवेदक शौकत द्वारा पंचायत समिति नवलगढ की प्रशासनिक स्थाई समिति की बैठक में अपील की गई, जिसमें पंचायत समिति द्वारा अपील को खारिज कर दिया व अतिक्रमण को तुरंत पुलिस की इमदाद लेकर हटाये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त स्थाई समिति के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई। श्योकत अली ने उक्त जमीन के संबंध में अतिक्रमण को बरकरार रखने के लिए एक दावा सिविल न्यायालय नवलगढ में मु0नं0 42/97 बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी पेश किया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 13.7.2000 को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई। आवेदक की हमेशा से ही नियत उक्त प्रस्ताव संख्या–8 में वर्णित जमीन को हड़पने की व अतिक्रमण करने की रही है। आवेदक ने निगरानी के प्रार्थना पत्र में इस प्रकार के किसी आधार का वर्णन नहीं किया गया है जिससे उसका कोई हित प्रभावित होने का कथन किया गया हो। निगरानी में मात्र यह कथन किया गया है कि प्रस्ताव संख्या–8 कानून विरूद्ध है। कौनसे कानून के विरूद्ध है उल्लेख नहीं किया गया। आवेदक को उक्त निगरानी पेश करने के लिए किस प्रकार से अधिकार उत्पन्न हुआ। निगरानी के लिए आपको क्या कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ कुछ भी दर्ज नहीं है। कानून ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव की अपील पंचायत समिति की स्थाई समिति की बैठक में किया जाना चाहिए जो कि धारा 61 में प्रावधित है। निगरानी का स्कोप बहुत सीमित है जिसके आधार पर किसी सार्वजनिक संस्था के लिए तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। स्थाई समिति के आदेश की अपील जिला परिषद कार्यालय में की जानी चाहिए उक्त बाबत धारा (97) क में भी प्रावधान किया गया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत बड़वासी के पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण के रजिस्टर का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बड़वासी की पंचों की बैठक दिनांक 07.03.1999 में प्रस्ताव संख्या–8 पारित कर वादग्रसत भूमि मुस्लिम समुदाय को मदरसे के लिये दी गई है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में अंकित किया है कि– मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरम के समक्ष उपस्थित होकर

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

एक प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि को आमचौक बताया है और जिसके पूर्व दिशा में गुटू खां पुत्र मांगू खा धोबी की गुवाडी, पश्चिम दिशा में मजिस्जद उतर दिशा में असगर पुत्र जौमर्दी धोबी की गुवाड़ी होना बताया है तथा इन गुवाड़ियों के रास्ते इसी आम चौक से लगते है बताये हैं, जिसमें से 30X 30 फुट भूमि की मदरसे के लिए मांग की गई है। ग्राम पंचायत बड़वासी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये, बिना मौका कमिश्न जांच एवं आम जन को बिना सुने, उसी दिवस को भूमि मदरसे के लिये मुस्लिम समुदाय को दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम पंचायत बड़वासी ने वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक चौक माना है। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी। आपत्ति प्राप्त होने पर सभी पक्षकारान को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही करनी चाहिए थी। निगरानीकार का कथन कि मस्जिद के सामने सार्वजनिक चौक है व इस सार्वजनिक चौक में से आम रास्ते निकलते हैं व इसी चौक में प्रार्थी व अन्य मोहल्ले वासियों के मकानों के मुख्य दरवाजे खुलते है व इस सार्वजनिक चौक को ग्रामवासियान व मोहल्ले वाले सार्वजनिक काम में काफी अर्सा पूर्व से लेते आ रहे हैं। इस कथन की पुष्टि ग्राम पंचायत बड़वासी के प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999 से भी होती है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी सार्वजनिक चौक माना है तथा इस चौक से लोगो का आना जाना मानते हुये भी बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये बिना लोगों की आपत्ति प्राप्त किये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर वादग्रस्त भूमि मुस्लिम समुदाय को दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है जो बिना विधिक प्रकिया के पारित किये जाने से एवं विरूद्ध कानून होने से खारिज होने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या–8 दिनांक 07.03.1999, निरस्त किया जाता हैं। ग्राम पंचायत बड़वासी वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक प्रकिया के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही एवं अतिकमण हटाने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत बड़वासी को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू